

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वसु  
अस  
हुक  
३

30/5/23 फतावली पेश हुई। वकील वादी अनु०  
फतावली का अपलौकन किया गया। न्यायालय के द्वारा  
बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय  
के आदेश की पालना नहीं करवाई गयी। अतः मूल वाद  
09 R-2/ 09 R-5 में खारिज किया जाता है। अतः  
फतावली फैसल शूमार ही कर नम्बर से रुम ही।  
बाद पूर्ण वारिकल दफ्तर ही। सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर  
बहरोड़ (अलवर) राजस्थान

सेवा

1.